रैयती अपील वाद सं0—12 / 2017—18
रंजीत कुमार सिंह
बनाम
राज्य सरकार

26/6/18

यह अपील, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के द्वारा बकास्त / गैरमजरूआ मालिक रैयती अभिलेख सं0—12बी0 / 17—18 में दिनांक 08.11.17 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदक का कहना है कि बकास्त मालिक वाद सं0—12बी0 / 17—18 के अंतर्गत मौजा—विश्म्भरपुर, थाना नं0—57, खाता नं0—138, खेसरा नं0—488, रकबा 1.22 एकड़ भूखण्ड को ठोस कागजी साक्ष्य के अभाव में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक—08.11.17 के आदेश से सरकारी घोषित कर दिया गया।

आवेदक का कहना है कि वे बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी है तथा सब जज—1 सह सहायक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा के पद पर कार्यरत है। उन्हें विषय वस्तु की जानकारी नहीं हो पाने के कारण उनके द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के समक्ष प्रश्नगत भूमि के रैयती होने संबंधी अपना पक्ष नहीं रखा जा सका, जिस कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के द्वारा वाद सं0—12बी0 / 17—18 के अंतर्गत प्रश्नगत भूखण्ड को सरकारी घोषित कर दिया गया।

आवेदक का कहना है कि वाद सं0—12बी0 / 17—18 में दिनांक—08.11.17 को पारित आदेश यदि रद्द नहीं किया जाता है तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर को वाद रिमाण्ड करते हुए पुनः सुनवाई कर आदेश पारित का निदेश नहीं दिया जाता है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी।

बकास्त / गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0—12बी0 / 17—18 में दिनांक—08.11.17 को पारित आदेश का अवलोकन किया। आदेश से स्पष्ट है कि इस वाद के आवेदक रंजीत कुमार सिंह उक्त वाद की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए थे तथा उनका पक्ष सुने बिना दिनांक—08.11.17 का आदेश पारित किया गया है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
	सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रभावित व्यक्ति का पक्ष सुने बिना दिनांक–08.11.17 को आदेश पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अतः बकाश्त / गैरमजरुआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0-12वी0 / 17–18 में दिनांक–08.11.17 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा वाद को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर को रिमान्ड(प्रति प्रेषित) करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे आवेदक का पक्ष सुनकर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें । निम्न न्यायालय का अभिलेख भी वापस करें। लेखापित एवं संशोधित 5/6/18 अपर समाहर्त्ता, पटना। 5/6/18 अपर समाहर्त्ता, पटना।	